रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-20112020-223209
CG-MH-E-20112020-223209

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 508] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तिक 28, 1942
No. 508] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 4 नवम्बर, 2020

सं. टीएएमपी/30/2020-जीटीआईपीएल.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा 20 फरवरी, 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/47/2019-जीटीआईपीएल द्वारा अनुमोदित दरमानों के जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) द्वारा संपदा पट्टा किरायों के उच्च संशोधन की प्रतिकारी सीमा तक समीक्षा के लिए गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) से प्राप्त प्रस्ताव का, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/30/2020-जीटीआईपीएल

गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - - -
आवेदक

<u>गणपूर्ति</u>

(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

(ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(अक्तूबर, 2020 के 28वें दिन पारित)

यह मामला, गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) के 17 जुलाई, 2020 के पत्र संख्या जीटीआईपीएल/टैम्प/प्रशुल्क प्रस्ताव-2020/01 के द्वारा जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) के संपदा पट्टा किरायों के उपरि संशोधन को ऑफ-सैट करने की प्रतिकारी सीमा तक 20 फरवरी 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/47/2019-जीटीआईपीएल के द्वारा अनुमोदित दरमानों की समीक्षा करने से संबंधित है।

2.1 प्राधिकरण ने गेटवे टर्मिनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) से प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत उनके दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित मामले में 20 फरवरी, 2020 को आदेश संख्या टीएएमपी/47/2019-जीटीआईपीएल पारित किया। जीटीआईपीएल का उक्त आदेश भारत के राजपत्र में 3 मार्च 2020 के राजपत्र संख्या 98 में अधिसूचित हुआ था। जीटीआईपीएल के संशोधित दरमान और सोपाधिकताएं भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना के 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् लागू हुई अर्थात् 02 अप्रैल 2020 से और 01 अप्रैल, 2023 तक लागू नहेंगी।

2.2. संशोधित दरमान के समग्र राजस्व प्रभाव का आकलन माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर जीटीआईपीएल द्वारा उगाहे जा रहे प्रशुल्क (3 मार्च 2010 के प्रशुल्क आदेश के अनुसार) से 6.55% की घटौती पर किया गया था।

3.1. इस पृष्ठभूमि में, जीटीआईपीएल ने लाइसेंस प्रदाता पत्तन, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) द्वारा अपने संपदा पट्टा किरायों के उपरि संशोधन के आधार पर 20 फरवरी, 2020 के प्रशुल्क आदेश संख्या टीएएमपी/47/2019-जीटीआईपएल द्वारा अनुमोदित दरमानों के संशोधन के लिए 17 जुलाई 2020 के पत्र के द्वारा अपना प्रस्ताव दायर किया। जीटीआईपीएल द्वारा किये गए निवेदन इस प्रकार हैं:-

(i). जेएनपीटी के 12 जुलाई 2020 के परिपत्र संख्या जेएनपी/फिन/2020/538 के अनुसार, जेएनपीटी ने 18 जुलाई 2020 से अपने संपदा संबंधी दरमानों का संशोधन किया है। दरों को अत्यधिक बढ़ा दिया गया है और इससे जीटीआईपीएल को 11 करोड़ रूपए की अतिरिक्त पट्टा किराया लागत चुकानी होगी, जिस का ब्यौरा इस प्रकार है:-

	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में			राशि भारतीय रू. में
विवरण	अप्रैल 2020 स प्रभावी मौजूदा दर	संशोधित दर	योग	वार्षिक प्रभाव
पत्तन क्षेत्र के भीतर विकसित भूमि	**32**.52	**54**	**371611**	**9,57,97,153,76**
पत्तन क्षेत्र के बाहर विकसित भूमि	**28**.46	**45**	**71015.25**	**1,40,95,106**.82
पत्तन के भीतर अविकसित भूमि	**14.2**	**22.5**	**16**	1,593.60
			योग	10,98,93,854.**18**

टिप्पणी:

1. दर प्रति वर्ग मीटर प्रति माह है।
2. दरों में 1 अप्रैल से प्रतिवर्ष 2% की दर से वृद्धि की जाती है।
3. 18 जुलाई, 2020 से प्रभावी संशोधित दरें ।

(ii). प्राधिकरण ने 20 फरवरी, 2020 के आदेश संख्या टीएएमपी/47/2019-जीटीआईपीएल के द्वारा जीटीआईपीएल के संशोधित दरमान 02 अप्रैल, 2020 से प्रभावी किये है। यह दरें 1337416 कंटेनरों के औसत वार्षिक यातायात पर 65,668 लाख रु. की वार्षिक राजस्व अपेक्षा पर आधारित थी। ऊपर दी गई वार्षिक राजस्व अपेक्षा की गणना करते समय पट्टा किराया लागत उस समय लागू दरों के अनुसार परिकलित की गई थी। तथापि पट्टा किरायों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है, जैसा ऊपर स्पष्ट किया गया।

(iii). मौजूदा प्रशुल्क 2020-21 से 2022-23 तक तीन वर्ष के लिए वैध है। इन तीन वर्षों के लिए पट्टा किराया लागत में इस वृद्धि का वार्षिक प्रभाव 11 करोड़ रू. होता है। पट्टा किराया लागत में इस अप्रत्याशित वृद्धि की प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 6 के अनुसार प्रशुल्क में वृद्धि करके क्षतिपूर्ति करने की जरूरत है।

(iv). इसलिए, पट्टा किराये में 11 करोड़ रु. की इस अतिरिक्त लागत को क़वर करने के लिए जीटीआईपीएल ने मौजूदा प्रशुल्क में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है। जिसकी विस्तृत गणना इस प्रकार है:-

अतिरिक्त वार्षिक राजस्व अपेक्षा का परिकलन

प्रशुल्क विवरण	प्रस्ताव के अनुसार औसत यातायात, कंटेनर में।	प्रति कंटेनर प्रस्तावित वृद्धि	वृद्धिशील राजस्व	**1.5.2020** से मौजूदा दर	प्रस्तावित दर
उतराई विदेशी खाली जन 20	13,452	72.5	975,294	2,108.12	2,180.62
उतराई विदेशी खाली जन 40	40,863	108.75	4,443,815	3,162.19	3,270.94
उतराई विदेशी खाली जन 45	96	145	13,968	4,216.25	4,361.25
उतराई विदेशी भरे जन 20	356,186	75	26,713,950	2,627.76	2,702.76
उतराई विदेशी भरे जन 40	258,938	112.5	29,130,488	3,941.63	4,054.13
उतराई विदेशी भरे जन 45	267	150	40,000	5,255.51	5,405.51
लदान विदेशी खाली जन 20	71,871	72.5	5,210,623	2,108.12	2,180.62
लदान विदेशी खाली जन 40	65,629	108.75	7,137,154	3,162.19	3,270.94
लदान विदेशी खाली जन 45	42	145	6,042	4,216.25	4,361.25
लदान विदेशी भरे जन 20	230,937	75	17,320,300	2,627.76	2,702.76
लदान विदेशी भरे जन 40	167,836	112.5	18,881,513	3,941.63	4,054.13
लदान विदेशी भरे जन 45	222	150	33,300	5,255.51	5,405.51
योग	**1,206,338**		**109,906,446**		

(v). प्राधिकरण से अनुरोध है कि संशोधित प्रशुल्क तत्काल लागू किया जाए।

3.2. जीटीआईपीएल ने संपदा किरायों में संशोधन की सूचना से संबंधित जेएनपीटी के 14 जुलाई, 2020 के व्यापार परिपत्र भी प्रस्तुत किया है।

3.3. इसके अतिरिक्त, जीटीआईपीएल ने 19 अगस्त, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा संशोधित दरों को सुविचार में लेते हुए, संशोधित दरमान भी प्रस्तुत किये है जैसी ऊपर पैरा 3.1. (iv) में चर्चा की गई है।

4.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार जीटीआईपीएल का 17 जुलाई 2020 का प्रस्ताव लाइसेंस प्रदाता पत्तन (जेएनपीटी) और संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को, उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए, भेजा गया। मामले को अंतिम रूप दिये जाने तक किसी भी प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन ने कोई टिप्पणी नहीं भेजी है।

4.2. जेएनपीटी ने 14 अक्तूबर, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा संसूचित किया कि प्राधिकरण द्वारा 18 जून 2020 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या 219 के आधार पर जेएनपीटी के संपदा दरमान 18 जुलाई, 2020 से प्रभावी किये गए हैं। मैसर्ज जीटीआईपीएल को लागू संपदा प्रशुल्क के लिए जेएनपीटी द्वारा संपदा पट्टा किरायों के उपरि संशोधन की सीमा तक प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अनुसार और अन्य हितधारकों के हितों को सुविचार में लेने के पश्चात् जीटीआईपीएल के दरमानों में संशोधन पर विचार किया जा सकता है।

5. कोविड 19 महामारी के देखते हुए और पोत परिवहन मंत्रालय (एम ओ एस) के 11 अप्रैल, 2020, के पत्र संख्या 11053/30/2020-समन्वय के अनुपालन में मामले में संयुक्त सुनवाई 15 सितंबर, 2020 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। संयुक्त सुनवाई में, जीटीआईपीएल, जेएनपीटी, और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने-अपने निवेदन रखे।

6. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्रवाई इस प्राधिकरण के कार्यालयी रिकॉर्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेषित किया जाएगा। ये विवरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

7. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रमा के आधार पर, निम्नलिखित सूचना उभर कर सामने आती है:-

(i). गेटवे टर्मिनल इंडिया प्रावइेट लिमिटेड (जीटीआईपीएल) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर, जीटीआईपीएल के प्रशुल्क पिछली बार 20 फरवरी, 2020, के आदेश द्वारा, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं के आधार पर, संशोधित किये गए थे। उक्त प्रशुल्क, 02 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुए और 01 अप्रैल, 2023 तक प्रभावी रहेंगे।

जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.1. में अनुबद्ध है, वार्षिक राजस्व अपेक्षा, जो वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक की अवधि के दौरान जीटीआईपीएल द्वारा उगाहे जाने वाले प्रशुल्क संबंधी निर्णय करने का आधार बने हैं, वह इस 2016-17 से 2018-19 के दौरान जीटीआईपीएल द्वारा किये गए वास्तविक औसत व्यय पर आधारित थे और वे संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षित वार्षिक लेखाओं पर आधारित थे। जीटीआईपीएल के एआरआर का निर्णय करते समय सुविचार में लिये गए व्यय का एक घटक जीटीआईपीएल द्वारा लाइसेंस प्रदाता पत्तन, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जेएनपीटी) को वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान प्रदत्त पट्टा किराया था।

प्रसंगवश, जेएनपीटी द्वारा दायर एक भिन्न प्रस्ताव के आधार पर, इस प्राधिकरण ने 01 जून, 2020 के अपने आदेश संख्या टीएएमपी/44/2019-जेएनपीटी के द्वारा जेएनपीटी के संपदा संबंधी दरमान निर्धारित किये थे। यह आदेश भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी हुआ यानी 18 जुलाई 2020 से और 17 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। जबकि जीटीआईपीएल के दरमान जून 2020 से पहले फरवरी 2020 में अनुमोदित किया गया था।

चूंकि जेएनपीटी ने जीटीआईपीएल को भूमि आबंटित की है, जेएनपीटी के संपदा दरमानों में वृद्धि से अतिरिक्त पट्टा किराये के रूप में जीटीआईपीएल के लिए व्यय में एक निश्चित वृद्धि तो होगी ही, जो जीटीआईपीएल द्वारा 18 जुलाई 2020 से जेएनपीआी को अदा करनी है। पट्टा किराये में वृद्धि का प्रभाव प्रशुल्क चक्र 2020-21 से 2022-23 के दौरान पड़ना सुनिश्चित है और इसे एआरआर में लेखबद्ध नहीं किया गया है, जो 2020-21 से 2022-23 की अवधि के दौरान जीटीआईपीएल द्वारा उगाहे जाने वाले प्रशुल्क के निर्णय का आधार था, जीटीआईपीएल द्वारा प्रशुल्क चक्र 2020-21 से 2023 के दौरान जेएनपीटी को दिये जाने वाले अतिरिक्त पट्टा किराये के प्रभाव को लेखबद्ध करने के लिए ओर इस प्रकार वह प्रशुल्क चक्र 2020-21 से 2022-23 के दौरान कुछके प्रशुल्क मदों में प्रशुल्क वृद्धि करके अतिरिक्त लागत वसूली जा सके।

(ii). जैसी ऊपर चर्चा की गई है, प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 2.1 में अंतर्विष्ट अनुबद्धता के अनुसार, आगामी 3 वर्षों के प्रशुल्क निर्धारित के लिए बीओटी प्रचालक द्वारा पिछले 3 वर्षों में किये गए वास्तविक व्यय को सुविचार में लिया जाता है। तदनुसार, यह स्मरण कराया जाता है कि फरवरी 2020 को आदेश के द्वारा जीटीआईपीएल के प्रशुल्क का संशोधन करते समय एआरआर का 651.78 करोड़ का निर्धारण किया था। उक्त आदेश द्वारा अनुमोदित संशोधित दरमान इस प्रकार निर्धारित किये गए थे कि जीटीआईपीएल के दरमानों में सूचीबद्ध विभिन्न प्रशुल्क मदों से वर्ष 2020-21 से 2022-23 के प्रत्येक वर्ष में जीटीआईपीएल 651.78 करोड़ रु. का वार्षिक राजस्व अर्जित कर सके। जीटीआईपीएल के 651.78 करोड़ रु. के एआरआर के निर्धारण में वास्तविक व्यय को सुविचार में लिया गया परंतु उसमें 10.99 करोड़ रु. के वृद्धिशील पट्टा किरायों को लेखबद्ध नहीं लिया गया, जिसे जीटीआईपीएल को 18 जुलाई 2020 से जेएनपीटी के संशोधित संपदा किराये और जीटीआईपीएल और जेएनपीटी के बीच हुए लाइसेंस करार के उपबंधों के अनुसार अदा करना है। इस प्रकार, फरवरी 2020 के आदेश के अनुसार निर्धारित प्रशुल्क के आधार पर जीटीआईपीएल द्वारा वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान अर्जित किया जाने वाला आकलित राजस्व 10.99 करोड़ रु. तक कम होगा क्योंकि जीटीआईपीएल के लिए निर्धारित दरें वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान जीटीआईपीएल 651.78 करोड़ रु. के राजस्व को अर्जित करने के लिए जिसमें 10.99 करोड़ रु. प्रति वर्ष के संवर्धित पट्टा किराये शामिल नहीं हैं।

(iii). प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 का खंड 2.14 अनुबद्ध करता है कि सही और पर्याप्त कारणों से बीओटी प्रचालक समय से पहले अपने दरमानों के सामान्य संशोधन या आंशिक संशोधन के लिए प्रस्ताव कर सकता है। जेएनपीटी के संपदा किरायों में वृद्धि से जीटीआईपीएल के व्ययों में वृद्धि हो जायेगी, यह एक सही और पर्याप्त कारण है। लाइसेंस प्रदाता पत्तन (जेएनपीटी) ने यह स्वीकार किया है कि जीटीआईपीएल का प्रस्ताव जेएनपीटी के संवर्धित पट्टा किरायों पर आधारित है। इसलिए यह प्राधिकरण, प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के खंड 2.14 के अनुसरण में जीटीआईपीएल द्वारा अपने दरमानों के संशोधन के समीक्षा प्रस्ताव पर सुविचार करने को प्रवृत्त है।

(iv). जीटीआईपीएल ने यह सिद्ध करने के लिए विस्तृत गणना प्रस्तुत की है कि जेएनपीटी के पट्टा किरायों में वृद्धि से जीटीआईपीएल को 10.99 करोड़ रु. प्रति वर्ष का अतिरिक्त व्यय करना पडेगा। जीटीआईपीएल द्वारा अपने परिकलन में सुविचारित विभिन्न प्रकार की भूमियों और विभिन्न प्रकार की भूमिओं के क्षेत्र के पट्टा किराये की दरें सही प्रतीत होती है।

(v). पट्टा किरायों के लिए अपने व्यय की भरपाई करने के लिए जीटीआईपीएल ने कुछेक प्रशुल्क मदों में ही वृद्धि का प्रस्ताव किया है। नामत: लदे और खाली विदेशी कंटेनरों के प्रहस्तन प्रभारों में 2.85% से 3.44% के बीच, ताकि 10.99 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त किया जा सके। प्रस्तावित वृद्धि समग्र प्रभाव 01 मई 2020 से प्रभावी मौजूदा जीटीआईपीएल के सूचकांकित प्रशुल्क पर औसतन 3.15% वृद्धि का रहेगा।

(vi). संयुक्त सुनवाई के दौरान, प्रयोक्ताओं ने जीटीआईपीएल के प्रशुल्क में वृद्धि पर आपत्ति की है। दा इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर (आईएमसी) ने यह मत व्यक्त किया कि जीटीआईपीएल द्वारा प्रहस्त की जाने वाली भारी मात्रा को देखते हुए 11 करोड़ रु. का प्रभाव कोई ज्यादा नहीं है और इसे स्वयं जीटीआईपीएल को वहन कर लेना चाहिए न की प्रशुल्क बढ़ाकर इसे, प्रयोक्ताओं पर डाल दिया जाए। मैरीआइम एसोसिएशन ऑफ नेशनवाइड शिपिंग एजेंसीज-इंडिया (मानसा) का यह मत है कि व्यापार कोविड-19 महामारी के कारण पहले ही काफी सफ़र कर रहा है और जीटीआईपीएल द्वारा दरों में और किसी वृद्धि से व्यापार को और तंगी आ जायेगी। अत: उसने अर्थव्यवस्था के पुन: बहाल होने तक वृद्धि को स्थगित रखने का अनुरोध किया। प्रयोक्ताओं द्वारा किये गए निवेदनों के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि जीटीआईपीएल का प्रस्ताव प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 में अंतर्विष्ट अनुबद्धताओं के अनुरूप है और कि जीटीआईपीएल के प्रशुल्क में वृद्धि, जैसी जीटीआईपीएल ने चाही है, न्यायसंगत है ताकि जीटीपीआईएल अपने व्यय को वहन करने के लिए राजस्व और नियोजित पूंजी पर 16% प्रतिफल प्राप्त कर सके जैसा प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 में अनुबद्ध है।

इसके अतिरिक्त, जैसा पहले बताया गया है, 20 फरवरी, 2020 के प्रशुल्क आदेश द्वारा संशोधित प्रशुल्क का समग्र प्रभाव उच्च न्यायालय द्वारा अनुमत प्रशुल्क से 6.55% घटौती पर था। प्रस्तावित वृद्धि का समग्र प्रभाव 01 मई 2020 को मौजूदा सूचकांकित प्रशुल्क पर 3.15% औसत वृद्धि का है। 6.55% की घटौती और 3.15% की वृद्धि को सुविचार में लेते हुए, व्यापार 20 फरवरी 2020 के प्रशुल्क आदेश से पहले जो भुगतान कर रहा था उससे भी कम का भुगतान करेगा। हर हाल में, दरमान अधिकतम स्तर के होते हैं, जीटीआईपीएल को वाणिज्यक लिहाज से कम दरों पर उगाही करने की शिथिलता प्राप्त है।

(vii). अत: जीटीआईपीएल द्वारा अपने प्रस्ताव में किये गए निवेदनों और जेएनपीटी के निवेदन के आधार पर और इस बात को सुविचार में लेते हुए कि प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 का खंड 2.14 में सही और पर्याप्त कारणों से दरमानों का आंशिक संशोधन समय से पहले किये जाने का उपबंध है, यह प्राधिकरण लदे हुए और खाली कंटेनरों पर जहाज से यार्ड/यार्ड से जहाज को पत्तन क्रेन के प्रयोग द्वारा कार्यकलाप के लिए कंटेनरों के विभिन्न आकारों के लिए निर्धारित प्रहस्तन प्रभारों में वृद्धि करने की मंजूरी देने को प्रवृत्त है। फलस्वरूप, तुलनात्मम तटीय कंटेनरों की दरों को भी विदेशगामी दरों के 60% पर निर्धारित करना होगा, ताकि सरकार के तटीय नीति संबंधी दिशानिर्देशों को प्रभाव दिया जा सके। उक्त निर्धारण का तटीय प्रशुल्क पर जीटीआईपीएल के एआरआर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जीटीआईपीएल ने अपने पहले के प्रस्ताव में (जो फरवरी 2020 के आदेश के रूप में परिणत हुआ) किसी तटीय कंटेनर के प्रहस्तन का आकलन नहीं किया था।

(viii). यद्यपि, जीटीआईपीएल ने अपने प्रस्ताव में अपने प्रशुल्क में संशोधन पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं चाहा है, इसने, संयुक्त सुनवाई के दौरान, अपने प्रशुल्क में 18 जुलाई 2020 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संशोधन की वांछा प्रकट की है। यह वह तारीख है जिससे जेएनपीटी के संशोधित पट्टा किराये लागू हुए हैं। जैसा मानसा ने ठीक ही कहा है कि प्रयोक्ता/प्रयोक्ता संगठन संवर्धित दरों को अपने उन ग्राहकों से पूर्वव्यापी प्रभाव से वसूल नहीं कर पायेंगे जो सेवा का लाभ उठा कर चले गए, पूर्वव्यापी प्रभाव देने से बिलों संबंधी समस्याएं और उठ खड़ी होंगी। अत: यह प्राधिकरण, जीटीआईपीएल द्वारा यथावांछित, संवर्धित दरों को पूर्वव्यापी प्रभाव देने को प्रवृत्त नहीं है। व्यापार को संशोधित दरों पर भुगतान करने को प्रवृत्त करने के लिए तैयार होने का समय दिये जाने की बात को मान्य करते हुए तथा जीटीआईपीएल को भी संशोधित दरें कार्यान्वित करने के समय की अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, अब अनुमोदित किये जा रहे संशोधित प्रभारों को भारत के राजपत्र में आदेश की अधिसूचना की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होंगे। जीटीआईपीएल को अलाभकर स्थिति में नहीं रखा जायेगा, क्योंकि

जीटीआईपीएल द्वारा किये गये सारे व्यय को संवर्धित पट्टा किरायों के रुप में एआरआर मॉडल के तहत आगामी चक्र में प्रशुल्क निर्धारित के समय लेखबद्ध किया जाना होगा।

8.1. परिणाम में और ऊपर दिये गए कारणो तथा सामूहिक विचार-विमर्श के आधार पर, जीटीआईपीएल के मौजूदा दरमानों के खंड 1क में निर्धारित मौजूदा प्रभारों को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाता है:

भाग- 1 सभी समान्य तथा रेल इन-रेल आऊट कंटेनर/गैर-पोत बद्ध कंटेनरों के लिए प्रभार

क. जहाज से यार्ड/यार्ड से जहाज को, पत्तन क्रेन द्वारा		
विवरण	विदेश गामी (भा. रु. में)	तटीय (भा. रु. में)
लदे कंटेनर		
20'	**2,702.76**	**1,621.65**
40'	**4,054.13**	**2,432.48**
40' **से अधिक के**	**5,405.51**	**3,243.31**
आईसीडी कंटेनर		
20'	2,702.76	1,621.65
40'	4,054.13	2,432.48
40' **से अधिक के**	5,405.51	3,243.31
खाली कंटेनर		
20'	**2,180.62**	**1,308.37**
40'	**3,270.94**	**1,962.56**
40' **से अधिक के**	**4,361.25**	**2,616.75**

8.2. जीटीआईपीएल को अपने दरमानों में आवश्यक संशोधन करने का निदेश दिया जाता है।

8.3. उक्त निर्धारण, पारित आदेश के भारत के राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 15 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी होगा और इसकी वैधता जीटीआईपीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता के साथ सह-समाप्य होगी। दिया गया अनुमोदन तत्पश्चात् स्वत: ही व्यपगत हो जायेगा जब तक कि इस प्राधिकरण द्वारा इसका विस्तार नहीं कर दिया जाता।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन.-III/4/असा./357/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 4th November, 2020

No. TAMP/30/2020-GTIPL.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL) for review of its Scale of Rates approved vide Tariff Order No. TAMP/47/2019-GTIPL dated 20 February 2020 to the extent of compensating upward revision of Estate Lease Rentals of Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No. TAMP/30/2020- GTIPL

Gateway Terminal India Private Limited - - - Applicant

QUORUM

(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 28th day of October, 2020)

This case relates to the proposal received from Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL) vide its letter No GTIPL/TAMP/Tariff Proposal-2020/01 dated 17 July 2020 for review of its Scale of Rates approved vide Tariff Order No. TAMP/47/2019-GTIPL dated 20 February 2020, to the extent of offsetting the upward revision of Estate Lease Rentals by Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

2.1 This Authority has passed an Order No. TAMP/47/2019- GTIPL dated 20 February 2020 in the case relating to the proposal received from Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL) for General revision of its Scale of Rates (SOR) under Tariff Guidelines, 2019. The said Order of GTIPL was notified in the Gazette of India on 3 March 2020 vide Gazette No. 98. The revised Scale of Rates and conditionalities of the GTIPL has come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India i.e. from 02 April 2020 and will be in force till 01 April 2023.

2.2. The overall revenue impact of the revised SOR was estimated to be a reduction of 6.55% from the tariff being levied by the GTIPL then (as per tariff Order dated 3 March 2010), based on the interim Order of the Hon'ble High Court of Bombay.

3.1. In this backdrop, the GTIPL has filed its proposal vide its letter dated 17 July 2020 for revision of its Scale of Rates approved vide Tariff Order No. TAMP/47/2019-GTIPL dated 20 February 2020, on account of the upward revision of Estate Lease Rentals by the Licensor port Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT). The submissions made by GTIPL are as follows:

(i). As per JNPT circular no. JNP/FIN/2020/538 dated 12 July 2020, the Estate related Scale of Rates has been revised by JNPT with effect from 18 July 2020. The rates have been increased significantly and will result in significant amount of additional lease rental cost of ` 11 crores to GTIPL as given below.

		Area in sq.mtrs		Amount in INR
Description	**Existing rate-effective April 2020**	**Revised rate**	**Total**	**Annual Impact**
Developed land inside port area	32.52	54	371611	9,57,97,153.76
Developed land outside port area	28.46	45	71015.25	1,40,95,106.82
Undeveloped land inside port	14.2	22.5	16	1,593.60
			Total	**10,98,93,854.18**

Note:

1 Rates are per sq.mtr per month

2 Rates are escalated @2% annually w.ef April 1.

3 Revised rates effective July 18,2020.

(ii). TAMP revised Scale of Rates of GTIPL with effect from 02 April 2020 vide Order no. TAMP/47/2019-GTIPL dated 20 February 2020. The rates were based on Annual Revenue requirement of ` 65,668 Lakhs for an average annual traffic of 1337416 containers. While calculating the annual revenue requirement mentioned above, the lease rental cost as per the rates prevailing then was considered. However, there is a substantial increase in the lease rental as explained above.

(iii). The existing tariff is valid for three years from 2020-21 to 2022-23. The annual impact of increase in lease rental cost for these three years is ` 11 crores. This unforeseen increase in lease rental cost need to be compensated by tariff increase in accordance with Clause 6 of Tariff Guidelines 2019.

(iv). It is, therefore, proposed to increase the existing tariff of GTIPL to cover this additional cost of lease rental of ` 11 crores as per the detailed working provided as follows:

Calculation of additional Annual Revenue Requirement

Tariff description	Average traffic as per proposal in containers	Proposed increase per container	Incremental Revenue	Existing rate w.e.f 1.5.2020	Proposed rate
Discharge Foreign Empty Gen 20	13,452	72.5	975,294	2,108.12	2,180.62
Discharge Foreign Empty Gen 40	40,863	108.75	4,443,815	3,162.19	3,270.94
Discharge Foreign Empty Gen 45	96	145	13,968	4,216.25	4,361.25
Discharge Foreign Full Gen 20	356,186	75	26,713,950	2,627.76	2,702.76
Discharge Foreign Full Gen 40	258,938	112.5	29,130,488	3,941.63	4,054.13
Discharge Foreign Full Gen 45	267	150	40,000	5,255.51	5,405.51
Load Foreign Empty Gen 20	71,871	72.5	5,210,623	2,108.12	2,180.62
Load Foreign Empty Gen 40	65,629	108.75	7,137,154	3,162.19	3,270.94
Load Foreign Empty Gen 45	42	145	6,042	4,216.25	4,361.25
Load Foreign Full Gen 20	230,937	75	17,320,300	2,627.76	2,702.76
Load Foreign Full Gen 40	167,836	112.5	18,881,513	3,941.63	4,054.13
Load Foreign Full Gen 45	222	150	33,300	5,255.51	5,405.51
Total	**1,206,338**		**109,906,446**		

(v). TAMP is requested to make the revised tariff effective immediately.

3.2. The GTIPL has furnished the JNPT Trade Circular dated 14 July 2020 intimating the revision of Estate Rentals.

3.3. Further, the GTIPL vide its email dated 19 August 2020 has furnished the revised Scale of rates, considering the revised rates as brought out para 3.1. (iv) above.

4.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of GTIPL dated 17 July 2020 was forwarded to the Licensor Port (JNPT) and concerned users/ user organisations seeking their comments. None of the users/ user organisations have furnished their comments till the case was finalized.

4.2. The JNPT vide its e-mail dated 14 October 2020 has conveyed that the Estate related SOR of JNPT has been implemented w.e.f. 18 July 2020 based on the Gazette Notification No. 219 dated 18 June 2020 issued by TAMP. Estate tariff levied to M/s. GTIPL for revision of its SOR to the extent of upward revision of Estate Lease Rentals by JNPT, may be considered as per Tariff Guidelines 2019 and after taking due consideration of the interest of other stakeholders.

5. In view of the outbreak of COVID-19 and in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter no. 11053/30/2020-Coord dated 11 April 2020, a joint hearing in this case was held on 16 September 2020 through Video Conferencing. At the joint hearing, the GTIPL, JNPT and users/ user organisations have made their submissions at the joint hearing.

6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.

7. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges:

(i). Based on a proposal filed by the tariff of Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL), the tariff of GTIPL was last revised vide Order dated 20 February 2020, based on the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019. The said tariff has come into effect since 02 April 2020 and will be in force upto 01 April 2023.

As stipulated in Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019, the Annual Revenue Requirement (ARR), which formed the base to decide the tariff to be levied by GTIPL during the period from 2020-21 to 2022-23, was based on the average actual expenditure incurred by GTIPL during the years 2016-17 to 2018-19, based on the audited annual accounts for the respective years. One of the components of

expenditure considered while determining the ARR of GTIPL was the lease rent paid by GTIPL to the Licensor port, Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) during the years 2016-17 to 2018-19.

Incidentally, based on a separate proposal filed by JNPT, this Authority vide its Order no. TAMP/44/2019-JNPT dated 01 June 2020 has fixed the Scale of Rates for the Estate of JNPT. This Order has come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India i.e. from 18 July 2020 and will be in force for a period of five years till 17 July 2025. Whereas the SOR of GTIPL was approved in February 2020 prior to June 2020.

Since the JNPT has allotted land to GTIPL, the increase in the Scale of Rates for the Estate of JNPT will lead to a definite and increased outflow for GTIPL in the form of additional lease rent, which is to be paid by GTIPL to JNPT from 18 July 2020 onwards. Given that the impact of the increased lease rent during the tariff cycle 2020-21 to 2022-23 is definite and has not been captured in the ARR which formed the base to decide the tariff to be levied by GTIPL during the period from 2020-21 to 2022-23, the GTIPL has come up with a proposal so as to capture the impact of the additional lease rent, payable by it to JNPT during the tariff cycle 2020-21 to 2022-23, and thereby recover the additional cost by way of increase in some of its tariff items during the tariff cycle 2020-21 to 2022-23.

(ii). As brought out above, as per the stipulation contained in Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019, the actual expenditure incurred by the BOT operator during the past 3 years is to be considered to determine the tariff for the future 3 years. Accordingly, it is recalled that while revising the tariff of GTIPL vide Order of February 2020 the ARR was assessed at ` 651.78 crores. The revised Scale of Rates approved vide the said Order was fixed in such a manner so as to enable the GTIPL earn an annual revenue of ` 651.78 crores during each of the years 2020-21 to 2022-23, from the various tariff items listed in the SOR of GTIPL. The actual expenditure considered to determine the ARR of GTIPL to the tune of ` 651.78 crores, does not capture the increased lease rentals of ` 10.99 crores, which the GTIPL is bound to pay to JNPT with effect from 18 July 2020, as per the revised estate rentals of JNPT and as per the provisions of the Licence Agreement entered by GTIPL with JNPT. Thus, the revenue, estimated to be earned by GTIPL during the years 2020-21 to 2022-23 based on the tariff fixed as per the Order of February 2020, will fall short to the tune of ` 10.99 crores per annum, as the rates fixed for GTIPL to enable the GTIPL earn an annual revenue of ` 651.78 crores during the years 2020-21 to 2022-23, is exclusive of increased lease rentals ` 10.99 crores per annum.

(iii). Clause 2.14 of the Tariff Guidelines, 2019, stipulates that for good and sufficient reasons, the BOT operator may propose revision ahead-of-schedule either for general revision or partial revision of its SOR. The increase in the Estate Rental of JNPT would lead to an increase in expenses of GTIPL; it is a good and sufficient reason. The Licensor port (JNPT) has also acknowledged that the proposal of GTIPL is based on the increased lease rentals of JNPT. Therefore, this Authority is inclined to consider the review proposal for revision of its SOR as filed by GTIPL, in accordance with Clause 2.14 of the Tariff Guidelines, 2019.

(iv). The GTIPL has furnished detailed workings to establish that the increase in the lease rentals of JNPT will lead to an additional expenditure to GTIPL to the tune of ` 10.99 crores. The rates for lease rent for various types of land and the area of various types of land as considered by GTIPL in its calculations are seen to be in order.

(v). To meet the increase in its expenditure of the lease rentals, the GTIPL is seen to have proposed increase only in some tariff items viz., handling charges on loaded and empty foreign containers, ranging from 2.85% to 3.44%, so as to generate an additional revenue of ` 10.99 crores. The overall impact of the proposed increase is an average increase of 3.15% over the indexed tariff of GTIPL prevailing with effect from 01 May 2020.

(vi). During the joint hearing, the users have objected to the increase in tariff proposed by GTIPL. The Indian Merchants' Chamber (IMC) has taken a view that considering the huge volumes handled by GTIPL, the impact of ` 11 crores is insignificant and should be borne by GTIPL itself, without passing it on to the users, by way of increase in tariff. Maritime Association of Nationwide Shipping Agencies-India (MANSA) is of the view that the trade is already suffering due to the COVID-19 pandemic and that any further increase in rates by GTIPL will put the trade in hardship. Thus, it has requested to postpone the increase till the revival of economy. With regard to the submissions made by the users, it is to state that the proposal of GTIPL is within the purview of the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019, and that the increase in tariff of GTIPL as sought by

GTIPL, is warranted so as to enable the GTIPL to earn revenue to meet its expenditure and 16% return on capital employed, as stipulated in the Tariff Guidelines, 2019.

Further, as stated earlier, the overall impact of tariff revision vide tariff Order dated 20 February 2020 was a reduction of 6.55% from the High Court permitted tariff. The overall impact of the proposed increase is an average increase of 3.15% over the indexed tariff prevailing as of 01 May 2020. Considering the 6.55% reduction and the 3.15% increase, the trade is going to pay less than what it was paying before the tariff Order dated 20 February 2020. In any case, the SOR is at ceiling level; the GTIPL has the flexibility to levy lower rates based on commercial considerations.

(vii). Thus, based on the submissions made by GTIPL in its proposal and the submissions of JNPT and considering that Clause 2.14 of the Tariff Guidelines, 2019, provides for an ahead-of-schedule partial revision of its SOR, for good and sufficient reasons, this Authority is inclined to grant an increase in the handling charges prescribed for different sizes of containers for the activity 'Ship to yard/ yard to ship using port crane' on loaded and empty foreign containers. Consequently, the rates for the corresponding coastal containers is also prescribed at 60% of the corresponding foreign rates, so as to give effect to the Coastal Policy Guidelines of the Government. The said prescription on coastal tariff will not have an impact on the ARR of GTIPL, as the GTIPL in its earlier proposal (which culminated in the tariff Order of February 2020) has not estimated handling of any coastal containers.

(viii). Though the GTIPL in its proposal had not initially sought for a retrospective revision in tariff, it has, during the joint hearing, sought a retrospective revision in its tariff with effect from 18 July 2020, the date when the revised lease rentals of JNPT has come into force. As rightly put forth by MANSA, the users/ user associations would not in a position to recover the increased rates from their clients retrospectively, who have reportedly already gone away, after availing services. Giving retrospective revision may also lead to billing issues. Hence, this Authority is not inclined to give retrospective revision to the increased rates, as sought by GTIPL. Recognising the lead time required for the Trade to get ready to pay the revised rates, and the time required for the GTIPL to implement the revised rates, the revised charges being approved now shall come into effect after expiry of 15 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. The GTIPL will not be put into disadvantageous position since the entire expenditure incurred by GTIPL in the form of increased lease rentals shall have to be captured during the tariff fixation for the next cycle under ARR Model.

8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, the existing charges prescribed at Section 1A of the existing SOR of GTIPL are replaced with the following:

Section - 1 Charges for all Normal & Rail in -Rail Out containers/Non vessel bound containers

A. Ship to yard/ yard to ship using port crane.		
Particulars.	**Foreign-Going (In INR)**	**Coastal (in INR)**
Loaded Container		
20'	**2,702.76**	**1,621.65**
40'	**4,054.13**	**2,432.48**
Over 40'	**5,405.51**	**3,243.31**
ICD Container		
20'	2,702.76	1,621.65
40'	4,054.13	2,432.48
Over 40'	5,405.51	3,243.31
Empty Container		
20'	**2,180.62**	**1,308.37**
40'	**3,270.94**	**1,962.56**
Over 40'	**4,361.25**	**2,616.75**

8.2. The GTIPL is directed to make necessary amendment in its Scale of Rates.

8.3. The above prescription shall come into effect after expiry of 15 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India and shall remain valid co-terminus to the validity of the existing Scale of Rates of GTIPL. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./357/2020-21]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2020.11.20 22:43:22 +05'30'